SHRI U. R. KRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to ask one question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): No.

The question is:

"That the Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, we shall take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed." *The* 

question was proposed.

श्री शिव चन्त्र झा: मैं एक सफाई जानना चाहता हूं कि जो फार्मेसी विधेयक के मतल्लिक जो जवाब दिया गया है उसमें से कुछ सुना कुछ नहीं शुना लेकिन 70 परसेंट इंग्स विदेशी हैं। इनका वड़ा कब्जा दवा के क्षेत्र में है। मैं जानना वाहता हं कि इन मल्टो नेशनल कम्प-नीज की कटोल करने के लिए ग्राप क्या कर रहे हैं? जहां तक मझे मालुम है और धापका सरवूलर भी निकला है कि जो इक्बोटी केपीटल हैं उनको 40 परसैंट लोग्नर डाउन करें। क्या यह बात सही नहीं है कि एक-ग्राध को छोड कर बाकी कम्पनीब ने ग्रपमी इक्वीटी नेपिटल की नहीं किया है ? इसके मृतित्लक जो श्रापका श्रादेश है उसका सक्ती से पालन करने के लिये आप क्या कर रहे हैं? जी कापका आदेश का पालन नहीं करता है Bill. 1981 उसको प्रोसिक्यूट करने के लिये, उस पर कार्रवाई करने के लिये ग्रांप क्या कदम

उठा रहे हैं। यह सफाई मैं जानना चाहता

Limitation) Amdt.

ह्यं

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Minister, would you like to say anything?

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, I do not know whether the hon. Member was here when I replied to the debate. I have already expressed my concern about it.

THE VICE-CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

## The Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Amendment Bill, 1981

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Economic Offences (Inappica-bility of Limitation) Act, 1974, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Industries (Development and Regulation) Act was enacted in 1951 with a view to provide for development and regulation of certain industries specified in the First Schedule to the Act. Any industrial undertaking producing goods without a licence, or having installed capacity in excess of the licensed/registered capacity, is subject to penal action under section 24 of the Act.

However, in actual administration of the Act, it has been observed that the provisions of the Act are not capable of being enforced because by the time the offence is detected and decision to proceed against the defaulting industrial undertaking is taken, the offence becomes time-barred by virtue of the operation of [Shri Charanjit Chanana]

the limitation period of one year under section 468 of the Criminal Procedure Code. With a view to overcome this deficiency, the Government have decided to include the Industries (Development and Regulation) Act in the Schedule to the Economic Offences (Inapplicability of Limitations) Act, 1974. The result of doing so would be that an offence under the provisions of the Act would not become time-barred.

Sir, I would like to mention here that in pursuance to the Industrial policy statement announced in 1980. Government have taken series of measures to ensure fuller utilisation of installed existing capacities Liberalise the licensing procedures, so that the shortfalls in production in vital and critical sectors of economy are removed or at least minimised as far as possible. However, where there is a clash of interest between a large scale sector and small scale sector, the policy of the Government is to ensure that growth of small-scale sector is fully protected and promoted. This important aspect will be taken care of by the proposed amendments under which any offence relating to the I (D&R) Act which goes against the development of small industries would be dealt with effect-

It will not be out of place to mention that besides the problem of limitation which will be taken care of by the proposed amendment to the Economic . Offences (Inapplicability of Limitation) Act, there are a number of other deficiencies in the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act in respect of which comprehensive proposals are being considered by the Government.

The Bill seeking to amend the provisions of the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974 to include the I (D&R.) Act in the Schedule to the said Act is already before you. I seek your full support and cooperation in the enactment of this legislation which will empower

the Government to take suitable action under enabling provisions of the I (D&R) Act.

With these words, Sir, I move that the Bill as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI (Maharashtra); Sir, I am happy to support the Bill because as it is the principle involved in moving this Bill from the Government side seems to be Economic that the Offences (Inapplicability of Limitation) Act is a rigorous Act which can control various types of economic offences and it seems the Government have come forward with an amendment to that Act whereby the Indus-ries (Development and Regulation) Act, 1951, is included as one of the Acts where if any provision is transgressed the penalties should be as per the Economic Offences Act, As ragards the principle and the policy enunciated by the Minister, there cannot be two opinions and I am personally of the opinion that this should have moved long ago because the economic offences particularly on the part of industrialists are very much damaging to the country.

Sir, the speech made by the Minister while moving the Bill really shows the real intention of the Government. particularly whatever has been done under the Industrial Licensing Act for transgresing the capacity which, in turn damages the interests of the small scale industries. That is also a laudable objective. But I do not understand that on the one side the Government is enacting legislation to create an atmosphere whereby economic offences should be reduced, on the other we have also heard from the Minister as well as, I think, the Minister of Commerce when a discussion took place 5 months ago about the glaring case of Gwalior Rayon fact-tory. Perhaps you are aware that this factory. whose production is in crores of rupees, is running without

(Inapplicability of

a licence and the Government has now come forward to include the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, in the Schedule to the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, which has been passed. At least now the Minister, true to his word and true to the intention of the Government's Policy, must assure this House that the Gwa-lior Rayon Plant in Kerala will be dealt with under the appropriate section of the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Amendment Bill. Then only we can appreciate the real intention of the Government. We are not here to create constraints for the Government. But here is a factory which is running totally without a licence for the last 30 years. Import licences are granted and a plea is made by the Commerce Minister as to what to do when so many thousand persons are employed. But I would ask the hon. Minister that under the Economic Offences Act, he should take over the factory because we do not want to cut short employment. These persons who are having employment, let them have it. The production is a necessity for the country. But unless the Minister assures that some such penalty or financial deterrence shall be applied, it seems the real objective of the Bill will be defeated. So also with regard to excess capacity. While speaking on the previous Bill, Mr. Ramakrishnan and others mentioned how the multinational drug companies have transgressed capacities whereby the drug formulators in the small scale sector have become a casualty. Bata is another glaring example of how small cobblers have suffered.

Sir, I would prefer to speak on a specific point which I want to highlight and bring to the notice of the Minister. You are passing this Amendment Bill and including Industries the (Development and Regulation) Act in the Schedule to the Economic Offences Act. This shows that the Government is very eager that under the Economic Offences Act, the industries

which are mentioned in the Schedule to the Industries (Development Regulation) Act will be dealt with.

Limitation) Amdt.

Bill, 1981

This is one side of the picture. The other side of the picutre is that this Government—I will not say the Industry Minister himself—is rolling a red carpet for all those offenders who have been already chargesheeted for economic offences. I cite the" case of the Nawab of Kuwait who has recently been introduced into the Indian indus-rial field, one of the Galadari brothers. A red carpet was spread for him. He was chargesheeted earlier. On August 3, 1977 the prosecution moved an application under section 83 of the Criminal Procedure Code against the Galadari brothers as offenders for economic offences for smuggling gold, silver, etc. This is one set of information. Then under a written instruction from Mr. N.K. Bajpai, Joint Director of Revenue Intelligence (Number DRI/BZU/116/80/81) the Public Prosecutor was instructed that the cases should be withdrawn. In 1977 the cases were filed in the Bombay Metropolitan Court under the Criminal Procedure Code or whatever it is. In 1980 what were the reasons given? I quote from India Today dated October 31, 1981:-

"Special interest has been shown by the United Arab Emirates (UAE) towards investment in India";

"in the interest of friendly relations between India and the UAE, it would be in India's national and public interest to withdraw the prosecution cases."

This was the instruction given by Mr. N.K. Bajpai and the public prosecutor, Mr. K. M. Desai a man of gentle humour referred in this connection to the only comparable case as that of the Baroda Dynamite Case against George Fernandes upon which Justice Krishna Iyer had remarked that the permission for withdrawal could be given only with the hope that it was actuated by "political Tammany Hall purposes sans enterprises."

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

Sir, perhaps you are yourself a learned advocate.

SHRI R. R. MORARKA (Rajas-than) : What is "perhaps"?

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: He was prepared to allow the Government to withdraw the case against George Fernandes provided it was actuated by political purposes sans Tammany Hall enterprises. This is one case which I wanted to refer to. He has specially been permitted to invest money in the Pure Drinks hotel, the Coca-Colawallah hotel on Raisina Road or whatever it is, and he is spending a large amount there. Very recently, when the Galadaris came into this country, they brought gifts worth a crore from the UAE In which there was a wrist watch worth Rs. 15 lakhs. To whom it was presented I do not know. I do not know whether your friends from this side received it. (Interruptions).

NARASINGHA SHRI PRASAD NANDA (Orissa): They know better.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: I don't know. And he was put up in the Taj Mahal Hotel. The Taj Mahal Hotel has nowadays become a smugglers' den. Many of the politicians take lunch in the Taj Mahal Hotel's cosy atmosphere enjoy wine, other aspects of the waist-line and what not. So this is the Taj Mahal Hotel. Its Managing Director, Mr. Kerkar, has become a fixer. Even Chief Minister leave their residences and go stay in the Taj Mahal Hotel. This is the Taj Mahal Hotel.

SHRI R. R. MORARKA: Relaxing.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: What?

SHRI R. R. MORARKA: For relaxation.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: O. I am sorry. You are right

My English is a little poor, you know. This is the position of the Taj Mahal Hotel. I would seriously put forth this view before you that this type of activity is going on in that known smugglers and known fixers and manipulators are coming to India for investment to oblige some friends. Now, Galadari's interview has been published in *India Today*. He says he is going to invest about Rs. 500 crores. Excellent! I am not worried about that. Anyone can invest in the industry of this country, but that investment must not be tainted. India has got a culture, but for the last 10 or 15 years that culture has become vitiated. Now. Sir, we are told that this corruption is a global phenomenon. When we talk corruption, somebody says that it is misuse of political power, it Is not corruption. We do not know English much. We are not sophisticated persons. We do not know so much the intricacies of the dictionary meanings. But these are the reactions of the people. So, I would request Mr. Chanana, who is the Industry

Limitation) Amdt.

Bill. 1981

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): Birla.

Minister, to take care of it. First of all, I

hope that the Gwalior man...

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: Nowadays, Mr. Bagaitkar, we should avoid taking names because that does not make any impact on that side; the Government and the party which is ruling is impervious. When you talk of corruption, they say it is not correct. When you say a gift worth Rs. one crore has been given, they say: "we have not received any information". But where it has gone, God knows. We say that this Chief Minister of that Minister was found in Taj Mahal . . . (Interruptions) I do not call her Mataji.

VICE-CHAIRMAN DINESH GOSWAMI): She is on a point of order. (Interruptions)

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: I have withdrawn

word Mataji, but even then I am hammered. Mrs. Usha Malhotra is really a nice lady, very aggressive and nice.

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): I can be misconstrued. Mr. Kulkarni.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); Whether you withdraw the word or not, she is entitled to the point of order.

AN HON. MEMBER: Has he established a new relationship?

SHRIMATI USHA MALHOTRA; I would like to know from my friends from the other side or from the people who were in power for three years: Did they come from another planet? Were they not the same...?

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI; Her point of order is very relevant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let me decide.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Every time you accuse us, but you also go through the records of your own strata of representatives, those of you who are here, and also of the parties you represent.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: This is an information. What is the point of order?

SHRIMATI USHA MALHOTRA: The point of order is that accussations have been levelled from time to time, but I would like the Members from that side to...

VICE-CHAIRMAN THE (SHRI DINESH GOSWAMI); The point of order relates to interpretation of rules. There is no point of order. Mr. Kulkarni, have you finished?

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: No. Two or three minutes more. Sir, the hon. lady Member is quite right. Those two or three years—let us not say of the Janata

Government because there also friends are angry, you are angry, they become angry—were a traumatic experience, they were worse years, people are novices and fools. They do not understand how to digest corruption. Prime Minister Morarj: Desai, being a true Gandhian, said that on the question of money taken or misuse of political power he must go. But your party has rightly said that even when there is misuse of political power nobody is to be penalised. That is quite a good attitude. Thereby corruption is perpetuated. Everybody is for himself. You say, let him do whatever he likes. You are quite right. I agree with you. Madam. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): When you want to speak, the ladies get attracted. But at least save me from this difficulty.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI; I have three days back thanked the Leader of the House for sending out Mrs. Saroj Khaparde for three months. Now what can I do if the ladies interrupt so much whenever I get up? I am at the receiving end.

(SHRI THE VICE-CHAIRMAN DINESH GOSWAMI): Are you in terested to go to the United Nations to create problems?

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI): I am not. But Mrs. Malhotra and Mrs. Monika Das are fit candidates.

VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now please conclude.

SHRI ARVIND GANESH KUL KARNI; I am really serious on the point.

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka); I did not interrupt you when you were speaking. Why are you raising my name?

VICE-CHAIRMAN THE

(SHRI DINESH GOSWAMI); You have provoked here also. Now please con-clude. I am happy the third lady is going out.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: I said, "The hon. lady Member, Mrs. Monika Das". (Inter-ruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); Mr. Kulkarni, let us conclude.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: One should not be so lighthearted to be provoked for a word, you know.

What I am seriously suggesting to the hon. Member is that this atmosphere of corruption is prevailing. You are bringing it at the right moment and including the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 in the Economic Offences (Inapplica-bility of Limitation) Act, 1974. I am very happy. For that purpose I would again specifically ask them to implement the Acta. The Government must be more illustrative and must go to the people saying that the Government stands for truth and uncorrupt practices. That is why I mentioned about Galadhari. Otherwise I have no love for Galadhari. He is bringing money to invest in the Pure Drinks or the hotel industry. It is not good. You have got ample money. You got the loan of \$ 5 billion. Such money should be brought—I am not against any such loans—to see that the industry grows and that the anti-social elements in the industrial sector are punished. Thank you.

अके कल्पनाच राय (उत्तर प्रदेश): श्रादरणीय उपाभाध्यक्ष जी, सरकार जी बिल लाई है, मैं तो उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इकनामिक भ्राफन्सेज के संबंध में मझे कुछ निवंदन करना है।

श्रीमन्, हमारे देश के ग्रंदर जो प्राइवेट सैक्टर ग्रीर पब्लिक सैक्टर मे कारखाने काम कर रहे हैं और स्माल संकेल इंडस्ट्रीज और हैवो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसमें मुझे यह निवेदन करना है कि जो कारखाने प्राइवेट सैक्टर में काम कर रहे हैं, उनका नजरिया यह होता है कि जब किसी अवश्यक चीज की कमी देश के श्रन्दर होती है तो वे अपने सामान का प्रोडक्शन कम कर देते हैं और बाजार में जो स्कैयरसिटो होती है, उसका वे नाजायज लाभ उठाते हैं और काफी उससे पैसा कमाते हैं।

इस देश में बहुत से लिगेंट के कारखाने हैं, जो इन्स्टाल्ड वैपेसिटी है सिमेन्ट प्रोडक्शन की, वे उस इन्सटाल्ड कैपेसिटी के अन्तर्गत उतना प्रोडक्यन उहीं करते और मार्केट में जो सिमेंट की कमी है, उस के कारण जिल्ला कम सिमंट वे पैदा करते हैं, उससे ज्यादा दाम में वे वेचते हैं। इसलिए सरकार को सब से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी कारखाने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सैक्टर में काम कर रहे हैं और प्राइवेट सैक्टर में हैं, उनमें जो ऐसी चीजें पैदा हो रही हैं, जो देश के लिए जरूरो हैं, जनता के लिए जरूरी हैं, वे भ्रपनी इन्स्टाल्ड कॅपेसिटो का इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं।

जहां तक मझे जानकारी है, चाहे डालडा पैदाकरने वाले प्राइवेट सैक्टर में पंजीपति हों, या सिमेंट पैदा करने वाले प्राइवेट सैक्टर के पूंजीपति हों, वे जितनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी हैं उससे कम प्रोडक्शन करते हैं। 5 р.м. जिसके कारण एक ग्राटिफिशियल स्केयिसिटी बाजार में होती है और उसका फल जनता को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो जीवन के लिए जरूरी चीजें है, ग्राम जनता

जिनका इस्तेमाल करतो है, उन सब चोजों का प्रोडक्शन पब्लिक सैक्टर में होना चाहिए प्रौर जनता को आवश्यकता के अनुकूल क्या देश को रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के शनुकूल उपका प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि जनता को पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन के माध्यम से चोजें ठोक ढंग से मोहैय्या हो सकें वरना वाजार में एक आदिफिश्यियन स्केयरितटो पैदा करके व्यापारो लोग फायदा उठाते हैं।

उपसभाष्यक महोदय, दूसरा निवदन हमें यह करना है कि हमारी सरकार ने इंडस्ट्रियल पालिसो रिजोल्यूभन के ग्रंतर्गत अपने देश में मिक्टड इकानामी के सिद्धांत को स्वोकार किया है, हमने कमांडित हाइट जाफ इकानामी के सिद्धांत को स्वीकार किया है और अपने मुल्क में जो चोजें अति आवश्यक हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर में लिया है और हमने कंज्यमर गृडस का प्रोडक्शन प्रधिकांश में प्राइवेट सेक्टर को दिया है लेकिन महोदय, मेरा निवेदन यह है, श्रीर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह साफ तरीके से यह फैसला करे। मोहन द्यारिया कमेटी ने एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तत को यो जिस में यह कहा गया था कि कौन-कौन सो चोज बहुत जरूरी है जिनके बिना कोई इन्सान जिंदा नहीं रह सकता है या जिनकी आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इत चीजों का प्रोडक्शन जिलकुल पहिलक सेक्टर में करने की नीति की प्राप्ताए ग्रीर जहां तक ग्रीर जितनी देश रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट ग्रांतर्गत प्रोडक्शन हो ग्रीर जनता को पहिलक डिस्टिब्य शन के माध्यम से चीज मोहैया करायी जाएं। ग्राज स्थित यह है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं जिनकी जनता को आवश्यकता है और जिनके अभाव में तमाम परेशानियां होती हैं लोगों की, उन चोजों का भी प्रोडक्शन प्राइवेट सैक्टर के हाथों में हो भीर यह इसलिए कि प्राइवेट सँक्टर की मनोवृत्ति हमेशा यह रही है कि वह बाजार को अपने माइंड -में रखते हुए कि कितना प्रोडक्शन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इस द्ष्टि को महेनजर रखते हए वे अपने प्रोडक्शन को करते हैं। कभी इन्स्टाल्ड कैंपेसिटो के बराबर प्रोडक्शन करते हैं, कभी स्केयर्रीसटी को देखते हुए उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सक्त कदम उठाने के संबंध में विचार कर रहो है या नहीं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्राज की तेजी से बदलतो हुई दुनियां में इकानामिक भ्राफेंसेज के चांसेज बहुत बढ़ गए हैं। महोदय, मल्टी नेशनल कंपनीज का देश के अन्दर जो प्रवेश हो रहा है वह भी हमारो इकानामी को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो मल्टो नेशनल कंपनी को अपने मुल्क में ईजाजत देने के पहले सरकार को उनके ऊपर अपनी कड़ी निगाह रखनी चाहिए क्योंकि दनियां के बहुत से मुल्कों में मल्टो नेशनल कंपनीज ने उन मुल्कों को पोलिटिकल सिचएशन को भी प्रभावित किया है और उन मुल्कों में राज सत्ता का जो परिवर्तन हम्रा है उसमें बड़ा हाथ रहा है। तो अपने देश में जबिक सोशलिस्ट इकानामी, परिलक सेक्टर इकानामी को ग्रापने स्वीकार किया है, तो ऐसे समय में हमें उन मल्टी नेशनल कंपनीज को श्रपने महक में, चाहे उनकी जितनी भी जरूरत हो-हरा ग्रीर ग्रमरोका ग्रगर मल्टी नेशनल कंपनीज को अपने देश में अलाऊ करते हैं तो उनकी इकानामी इतनी मजबूत है, उनकी श्चर्य-व्यवस्था इतनी मजबूत है, कि वे उन मुल्कों की पोलिटिकल स्थिति को श्री कल्पनाथ राय]

प्रभावित नहीं कर सकते हैं--लेकिन जो डेबलपिंग कंद्रीज हैं उन मुल्कों में मल्टोनेशनल कंपनीज का प्रवेश होता है तो उन मल्कों की पोलिटिकल इकानामिक स्थिति को बहुत कुछ गवर्न करती हैं और कभी-कभी उनको संकट का मुकाबला करना पड़ता है।

तीसरे, उपसभाध्यक्ष महोदय, विदेशों में जो सामान था रहे हैं, थाप दिल्ली के बाजार में चले जाइए, श्राप देखेंगे विदेशी सामान को खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं जानता हूं, नेपाल की सीमा से बहुत सा सामान हिन्द्स्तान में लगातार आ . रहा है और बहुत सा सामान, जो हमारे सरहदी बार्डर्स हैं, चाहे वह नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर तस्कर ब्यापार के माध्यम से भारी माता में सामान हमारे मुल्क में आ रहा। है।

इन तस्करों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है, इकनोमिक आफसेज करने वाले लोगों के खिलाफ अगर कड़े कदम नहीं उठाये गये तो वे इस मुल्क की अर्थ-व्यवस्था को चौपट करने की दिशा में सचेष्ट रहेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन तीन प्रश्नों को सरकार के सामने रखना चाहता है। इंस्टाल्ड केपेसिटी का प्राइवेट सेक्टर में पूर्ण इस्तेमाल होता है या नहीं ? दूसरे जनता के लिए जरूरी चीजों को पब्लिक सेक्टर में होना चाहिये। तीसरे मल्टी नेशनल कम्यनीज को मुल्क में भाने देने के पहले उन की एक्टिविटीज की पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए। जो विदेशों से माल मा रहा है स्मर्गालग के माध्यम से उस को रोकने के लिए स्मगलर्स के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है।

उपा भाष्यक्ष महोदय, हमारे कुलकर्णी जी जब भी बोलते हैं तो हमारी पार्टी

पर बिना हमला किये नहीं मान सकते, फिर चाहे जो भी बहस हो, जनता पार्टी के राज का गुणगान भी करते हैं।

280

श्री प्ररविन्त गणेश कुलकर्णी : जनता पार्टी के खिलाफ बोला।

श्री कल्पनाथ रायः इस देश की जनता ने सोना इकट्ठा कर के यद के जमाने में दिया। बहु 14-15 टन सोना उस जनता सरकार के प्रधान मंत्री ग्रीर उन के बेटे ने इस मृत्क के बाजारों में ग्राक्शन किया। इससे वड़ा इकोनोमिक ग्राफेंस क्या हो सकता है ?

श्री घरचिन्द गणेश कुलकर्णी : गलत किया, हम भी मानते हैं।

श्री कल्पनाथ राय: कभी कूलकर्णी जी ने नहीं कहा ...

श्री नर्रांसह प्रसाद नन्द : आप रेकाई देखिए कुलकर्णी जी ने क्या कहा

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : ग्रापको जो इनकारमेशन द्या रही है वह पूरानी है, उस पर विस्वास मत करो । हम और श्राप तो फार्मर हैं, हम ऐसे ही डट कर लडेंगे।

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द : भ्राप ने जो बात कही उसमें ग्राप ग्रौर कुलकर्णी की राय एक है, उसमें वहस नहीं होनी चाहिए।

श्री कल्पनाथ राष : जनता पार्टी ने सत्ता का, पोलिटिकल पावर का कितना मिस्यूज किया, जो रिपींट ग्रायी है पूरी कमेटी की वह इस बात का सबत है कि गोल्ड ग्राक्शन कर के जनता पार्टी ने कितना मिस्युज भ्राफ पावर किया भीर इतना सोना तस्करों के हाथ बेच कर इस मुल्क की रीढ़ को तोड देने की कोशिश की । जब कोई बहुस जनता के हित में होती है तब मझे विक्थास है कि कुलकर्णी जी कान्ति देसाई जैसे व्यक्ति का समर्थंन नहीं करेंगे।

श्री प्ररक्षित्व गणेश कुसकर्णी: हमने ग्रीर ग्राप ने तो उस मामले को उठाया।

श्री कल्पनाय राय: हमें विश्वास है कि सरकार श्रपनी नीति निर्धारित करते समय इकोनोमिक आफडर्स के खिलाफ कदम उठाने की व्यवस्था अवश्य करेंगी। हमें एक निवेदन और करना है दवाओं के विषय में ...

उपसमाध्यक (श्री दिनेश गोस्वामी) । This does not come under his ministry.

श्री कल्पनाथ राय: वह मैं नहीं बोलता हं। एक बात का आश्वासन सन्कार जरूर दे। जो जनता के लिए जरूरी चीजे हैं उन की प्रोडक्शन गारंटिड ढंग करने की जिम्मेदारी सरकार ले और पब्लिक डिस्टीब्युशन सिस्टम के जरिए जनता को महैया कराये। जो जनता के रास्ते में रोडा बनते हैं उन इकोनोमिक ग्राफेंडर्स के खिलाफ कदम उठाये जायं जैसे इमरजेंसी के दौरान देश की नैता श्रीमती इन्दिरा गांघी ने उठाये थे, हजारों त्रकारों सम्भलरों, टैक्स चोरों जमाखो**रों** जखीरेबाजों को जेलों में डाला था। इन लोगों का मन इस लिए मजबूत हो गया कि जनना पार्टी सत्ता में आयी तो उनका अभिनन्दन करने लगी । जितने मुल्क में जमाखोर थे. चोर वाजारिए थे, जितने काफी पोसा के आफेंडर्स थे---यहां तक कि प्रस्तान का भी-उनका अभिनन्दन जनता पार्टी ने किया यह भी अच्छे नागरिक माने गये। इकोनोमिक आफेंडर्स के खिलाफ 34 वर्ष के इतिहास में दढ़ निश्चय और साहस से कदम इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी की सरकार ने उठाया या, लेकिन उन इकोनोमिक आफेंडर्स ...

शो सदाशिव बागाईतकर : इमरजेंसी में मैं जेल में बन्द था और काफी-पोस के लोग जेल के अन्दर सारा काम-काज चलाते थे। 🚵 🏭

Limitation) Amdt.

Bill, 1981

श्री कल्पनाथ राथ : उपसमाध्यक्ष महोदय, ग्रगर बागाईतकर साहब बन्द थे तो इस का मुझे गहरा दुःख है। ऐसे व्यक्तियों को कभी जेल में नहीं डालना चाहिए। यह तो स्मगलसं और जमाखोरों और इकोनामिक आफेंसेज करने वालों के लिये है और ऐसे लोगों और सोने चांदी की स्मर्गालग करने वालों को पहली बार श्रीमती गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेलों में डाला या और उस के कारण हिन्द्स्तान के द्राधिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। यही देश था संसार में कि जहां कि मुद्रा वहत नीचे गिरी हुई थी और दनिया के दूसरे देशों की मुद्रा काफी बढ़ी हुई थी। उस समय बहत जरूरी था कि इकोनामिक ग्राडफेंर्स के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता । तो मैं च हुंगा कि देश के नेता हमारे ऐसे कदमों का समर्थन करें। ग्रगर वागाईतकर साहब को जेल में डाला जाय या कुलकर्णी साहब को जेल में डाला जाय तो उसका हम विरोध करेंगे, मैं इस का वचन देना चाहता हं।

श्री श्ररिबन्ध गणेश कुलकर्णी: ग्राप जब इमरजेंसी लायेंगे तो मुझे जेल में जरूर डालेंगे उस के विना श्राप का काम चलेगा नहीं लेकिन एक ही प्रार्थना है कि मेरी उम्म ज्यादा हो गयी है इस लिये मुझे क्लास श्रच्छा दिया जाय। वेसे मैं जेल जाने के लिये तैयार हूं।

श्री कल्पनाथ राय : आप को जेल में नहीं डाला जायेगा।

श्री प्ररक्षित्व गणेश कुलकर्णी : नहीं तो श्राप चला नहीं सकेंगे।

श्री कल्पनाथ राय: मैं किसी पोलिटिकल ब्रादमी को जेल में डालने का विरोधी हं। में वचन देता हूं कि मैं हर ऐसे कदम का विरोध करूंगा। मैं चाहता हूं कि यह केवल स्मगलर्स भीर इकोनामिक रैकेटियर्स ग्रीर जखीरेबाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाय ग्रीर श्रामा है कि श्राप इसमें हमारा समर्थन करेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा (विहार): उपसभा-ध्यक्ष महोदय, यह आधिक अपराध (परि-सीमा का लागू न होना ) संशोधन विधेयक, 1981 सो सं है । लेकिन इस विधेयक से कुछ मतलब सिद्ध तो हुआ ही है, नहीं से हां तो हुई है। इकोनामिक श्राफेंसेज रोकने के लिए जो भी कदम उठाये जाते हैं यह तो ठीक ही हैं, अच्छी वात है कि लेकिन दी एक बात इस विधेयक से साफ हो जाती हैं पहली बात तो यह है कि जब सरकार कोई विधियक बनाती है तो उसके पास इस काम के लिए बहुत काफी बड़ी पलटन होती है। सारे कान्नधां उसके पास रहते हैं, लेकिन वर्षों के बाद सरकार को याद श्राता है कि यह लुपहोल उस में रह गया और ईस को इस तरह से पकडना चाहिए। तो सरकार के लोगल कांपिटेस पर भी इससे रेपलेक्शन आता है। कापिटेंस होते हुए भी सरकार ठीक विधेयक नहीं बना पाती ग्रीर दूसरी बात यह इकोनामिक आफ्रेंसेज बढ़ रहे हैं और इस के लिए जरूरों हो जाता है कि सख्तों से कदम उठाये जायं । मेरा इसमें सुझाव यह है इसको ग्रगर ग्राप जनरल स्कोप में ले बाते हैं तो जिन केसेज में प्रासीवयुशन करना चाहते हैं उन में बहुत काफी समय लग जाएगा । इसलिये इन इकोनामिक आफेंसैज को रोकने के लिए आप इकोनामिक स्पेशल कोर्ट्स बनायें और ऐसे केसेज को उनके सुपूर्व करें जो कि ऐसे नेसेज को एक्सपोडिशसलो निपटार्ये।

वरना कोर्टस में ऐसे केसेज में बहत ज्यादा समय लग जाता है और जो आप का मकसद है जिसके लिए अप यह बिल ला रहे हैं वह पूरा नहीं हो पायेगा। तो इकोनामिक स्पेशल कोर्ट्स बनाये जायं ऐसे केसेज का जल्दी से निपटारा करने के लिये तो थोड़ा बहुत आप का इरादा पुरा हो सकता है। लेकिन ईसके लिए जो कदम सरकार उठा रही है, वह मोटे तौर पर जिसको कहा जाता है, टिवरिंग विद दि प्रावलम है। बाज इकोनामिक समस्या ऐसी जटिल समस्या होती जा रही है ग्रीर खास तौर से इसलिए जटिल हो गई है कि बाहर से जो हाथ पसार कर कर्जा आपने लिया है, देखना यह है कि बाने वाले दिनें में उसका प्रभाद बाप के इंडस्ट्रियल पालिसी रेजलेशन जो धा उसकी जिल्ली शच्छाइयां थीं, उन पर कब तक और किस हद तक पड़ता है। उसकी कंडी शनेलिटी यह है वि: शाप का जो मैंन उद्देश्य था सोशल वैलफेयर आर जो इकानोभिक पालिसी चलती रही कि पब्लिक सेक्टर बढ़े, सोधल बैक्रफर की जो बातें थीं, ग्रनएम्पलाएमेंट खत्म हो, उन सब पर द्याप को रोक लगाना पड़ेगा इंटरनेशनल मानीटिरी फंड का जो लंड है, इससे आएको नर्चर करना पडेशा। यानि आप को इसरी नीति शहितयार बरनी पहेगी जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर ,मराफ खार ग्रीर दूसरे लोगों को बहुत मौका मिलेगा और जो प्राइवेट कैपिटलिंग होता है, वह ज्यादा होगा । कुछ समय पहले वित्त मंती ने कहीं पर एक सैमिनार में भाषण दिया था, मैंने वह भाषण पड़ा। स्पष्ट रूप में जो लोन लिया गया है वह ग्रीन सिगनल है, ग्राप दावत दे रहे हैं कि ग्राजो हमारे यहां खुव मुनाफा वःमाजो । हमारे यहां रेट आफ प्राफिट हायर देन कनाडा है । ग्रन-डैवलण्ड एपिया में सबसे है, यह मानिसंयन इकाना-मिकस है। ग्राप जानते हैं कि कैपिटलिज्य

इंपीरियलिज्म कैसे ग्राता है। प्ंजीवाद साम्प्राज्यवाद कैसे बाता है। अनंडवलण्ड एरिया में रेट आफ प्राफिट हायर होता है ग्रौर इसलिए उन कंद्रोज में कैपिटलिजम और इंपोरियलिजम, साम्रा-राज्यवाद बढ़ता है। यही दावत इन्होंने दी है कि यहां पर रेट ग्राफ प्राफिट ज्यादा होगा, लगाया, खूब मुनाफा हमारेयहां करो ग्रार भेजो । तो व्नियादी चोज यह है कि जो कुछ भी पब्लिक उैक्टर के बढ़ने का काम हुआ है, उस पर रोके होंगी। इस रूप में यदि हम उसको हटाते तो फिर भी आप काइसिस से बंबिस नहीं रह सकते। भ्रापको भ्रपने इंडस्ट्रियल श्रीर इकानामिक पालिसी रेजलुशन की रिवाइज करना पड़ेगा। उतमें जीर परिवर्तन करना होगा। इज्ञानामी का कंसन्देशन प्रोसेस बढ़ रहा है बड़े-बड़े इडंस्ट्यिल हाउसेज हैं उन पर आपको रोकें लगानी चाहिए। उन पर कंट्रोल करना होगा। यानी 20 टाप मोनोपली हाउसेज को आप नेशनलाइन करें। 14 वैंकों का, जिनका आपने राष्ट्रीयकरण किया है, उनके अलावा जो बैंक हैं उन पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। एक्तपोर्ट इंपोर्ट जितना है, इस पर आपको कवजा करना होगा। तो यह सब कछ ऐसे ऐकेन्युज हैं जिन पर श्रापको कटना करना होगा। तव कमांडिंग हाइट्स पर आपका कब्जा होगा। वरना अभी जो इकानामी है वह इकानामी आफ ग्रोइंग कैपिटलिजन है। इसका सबसे बड़ा कंट्रेडिक्शन, वायलेंट कंट्रेडिक्शन यह है कि ग्रोइंग पब्लिक सैक्टर, ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर एक स्यान में दो तलवारें रह नहीं सकता है। यह हंसने भीर मंह फुलाने की बात एक साथ हो नहीं सकता है। इस अर्थ-व्यवस्था में रहेगायातो पब्लिक सैक्टर, नहीं रहेग प्राइवेट सैवटर। बढना एक न एक दिन टकरायना, काइसिस रिडन है यह । एक काइसिस

इससे उत्पन्न हो रहा है और होगा। इसलिए तकाजा यह है कि यह जो प्राइवेट सेक्टर जो खराफात करता उसको यहीं पर 'निप इन दि बड' करना होगा । पब्लिक सेक्टर ग्रीर प्राइवेट सेक्टर की बात श्राप को सोचनी होगी। लेनिन ने जब पालिसी लगाई थी उसी वकत यह सवाल उठा था । लेनिन ने साफ शब्दें में कहा-जब , उनके साधियों ने कहा--हां, छट दे पहे हैं इसलिए कि समाजवाद जिन्दाबाद पर देश नहीं चल रहा है। अभो पेट में रोटो को जरूरत है। उसने कहा कि यह सब मेरे कंट्रोल में है इसलिए यह कभो आगे नहीं जाएगा। हमारा पब्लिक सेक्टर ग्रामे बहेगा । इनको हम खत्म करेंगे। समाजनाद आगे वढेगा। मुस्तेदी से कंट्रोल किया है। ५ बितः सेक्टर ग्रागे बढ़े, सारा देश चाहता है, समाज चाहता है, आप को इन सब बातों को सहे नजर रख कर बुनियादो बादम उठाना पड़ेगा ग्रीर उसके लिए ग्राप को इन्डस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन रिवाइज करना पड़ेगा यदि आप देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इतना यदि नहीं कर सनते तो मैंने उस दिन भी कहा था ग्रीर ग्राज फिर कह रहा हूं गांधो जो के ट्स्टोशिय को लाइये। जो कुछ भो हो लेकिन इकानामिक फोर्स को बनाइये। जो केस, जो केसेज स्मगलर्स अगैरह के बायेंगे या दूसरे आर्थेंगे उनको जल्दों से निपटाये ग्रीर क्या कदम श्रागे वह सकते हैं यह भी देखें। इन मख्यें के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रो राम लखन प्रसाद गुप्त (विहार): उपसभाव्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध संशोधन विधेयक, 1981 का गै पूर्ण समर्थन करता हूं परन्तु में मंत्री महोदय का ध्यान दो-तीन वातों की श्रोर आर्कापत

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त]

करना चाहता हूं और वह यह है कि गह उद्योग विकास और विनियम ग्रीध-नियम 1951 का सेक्शन 24 और 24-ए में पैनल प्रोविजन है ग्रीर उस पैनल ोविजन को लाग करने के लिये सी० आरः पी० सी० 36 जो 1975 का है उतमें जो लिमिटेशन का प्रावधान है उससे इसको हम अलग करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मना उन्होंने यह देखा है कि ऐसे कितने आफ्रेंसेज हैं जिनके ऊपर केस किये जा सकते हैं ? इसमें कितने उद्योग हैं, उसके बाद कितने व्यक्ति हैं और उन पर किस तरह के मुकदमे हैं जिनके ऊपर, अगर यह पास हो गवा, लोक सभा से भी पास हो गवा ग्रौर कानुन वन गया तो उनके ऊपर कितनी जगहों पर म्कदमें दायर किये जा सकते हैं इसको एक सूची होनी चाहिये ? दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं जब यह कानून का रूप ले ले और उस समय हम यह लागू करते हैं तो 74 से प्रव तक जितने के केज होने चाहिये थे जो नहीं हो सके हैं उनको ग्राग रेट्रोसपैक्टिव ग्राफेक्ट नहीं देते हैं तो लिमिटेशन के अंदर वे चले जायेंगे । इस कानून के ग्रन्दर इसका प्रावधान होना चाहिये। "Itshall have retrospective effect" इसमें रेट्रोसवेक्टिव इसलिये प्रकेट का प्रावधान नहीं है मंद्री महोदय भाषवासन चाहता हुं कि वे इसमे रिट्रास-पेक्टिव अफेक्ट करने जा रहे हैं। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं इन पर जितने भी कानून हैं, सरकारी मशीनरी है या बड़े-बड़े योग्य घफसर हैं उन सब का हवान क्यों नहीं जाता है किस कारण ये सारी बातें अभी तक दबी हुई हैं। जब इकोनामिक ग्राफेंस का पहुले रें प्रावधान है तो इसमें

एक शेडयूल में जोड़ना चाहिये था। इस समय इस बारे में सोचना चाहिये था । जब अप्रैल, 1974 में यह कानून बना उसी समय इसको लागू करना चाहिये था । यह सबसे महत्वपूर्ण कान्न है जिसको इसके ग्रन्दर लाना चाहिये । जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे उत्पादन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं...बिना लड़ासेंस के फैक्टरी चाल् हो जाती है उसको हम कन्ट्रोल कर सकते हैं। सारी बातों को कन्ट्रोल कर सकते हैं । उपसमाध्यक्ष महोदय, जैसा कि धनी लग रहा है कि जितने उद्योग और उद्योग-पति हैं सब सरकार के ग्रिप के वाहर चले गये हैं। कोई भी उद्योग ग्राज सरकार के ग्रंडर में नहीं है। एक साल के ग्रन्दर कागज वाले चार-चार, पांच-पांच बार कीमत बढाते हैं, सीमेंट काले चार-चार, पांच-पांच बार कीमत बढाते हैं. लोहे वाले कीमत बढ़ाते हैं। तो ग्राखिर कन्द्रोल किस तग्ह से करेंगे। एक वर्ष में कई मर्तवा प्राइस राइज होती है। अगर यह वर्ष भर तक भी रहती तो वह भी ठीक था लेकिन वे जब चाहते हैं तब बढ़ा लेते हैं और मंत्री जी ग्रधिक से श्रधिक उद्योगपतियों को ब्लाकर आश्वासन लेते हैं और वे एक महीने वाद फिर बढ़ा लेते हैं। इसलिये इस तरह की कोई कमी न रह सके इन सारी चीजों को इसके द्वारा ग्राप कन्ट्रोल कर सकते थे । मेरा निवेदन होगा कि मंत्री महोदय इस बात का ग्राम्वासन दें, वक्तव्य दें कि वे इस पर काम करने जा रहे हैं और यह भी बतायें वे कब से इसको लागू करने जा रहे हैं।

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन, जो विधेयक मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, इसका समर्थन करने की स्थिति में मैं इसलिये नहीं हुं कि सरकार के

इरादों के बारे में मेरे मन में शंकायें हैं। मझे इस बिल से ऐसा लग रहा है कि जो देरी जानबुझकर की जाती है, ऐसे मामलों में, इकानामिक ग्राफेंसेज के मामलों में उनको एक प्रकार से ढंकने का काम इस विधेयक द्वारा किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता था कि मंत्री जी सदन को बतायोंगे कि कितने ऐसे केसेज हैं जो लिमिटेशन की वजह से लेप्स हो गये हैं ऐसा कोई स्टेटिस्टिक्प उन्होंने हमारे सामने नहीं रखा और न यह बताने की स्थिति में हुं कि इस विधियक के पारित होने पर इसका रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट होगा कितने केसेज ऐसे होंगे जिनमें इकानामिक ग्राफेन्डर्स को सजा दिलाने की स्थिति में सरकार होगो क्योंकि हम लोगों की जो जन-कारो है वह ऐसी है कि बूनियादी तौर पर ग्रगर देखा जाय तो जो कानून में व्याख्या है काइम को, ऋभी तक उस काइम की व्याख्या में ग्राधिक काइम, एकानामिक श्राफेन्सेज का हमने समावेश उस अर्थ से अभी तक नहीं किया है। अगर सरकार उस काम को करेगी तो मैं समझता हं कि सरकार के हाथ में बहत ताकत ग्रा जायेगी । ग्राज जरूरत इस बात को महसुस हो रही है कि इस प्रकार का अमें डमेंट लाना चाहिए और बजाय इकानामिक आफेन्सेज को नई ब्याख्या करके उसको हमारे बुनियादी कानन मे दाखिल करना चाहिए। यह ग्रभी तक सरकार ने क्यों नहीं किया यह मैं नहीं समझ सकता । जो लिमिटेशन वाली चीज लाई गई है उसका क्या यह नतीजा नहीं हो सकता कि जानब्झकर जिन केसेज को चलाने में, चाहे वह पुलिस ग्राफिसरों से मिल कर, हैक्टरो इंसपेक्टर्स से मिल कर ग्रीर चाहेइनकम टैक्स वालों से मिल कर जिस तरह का काम ो सारे इंडस्टियलिस्ट करते हैं, उसका एक नरोके से भ्राप संशोधित करके उसपर व्हाइट**-**बाग करने का काम कर रहे हैं। अगर यही होना है तो मेरे जैसा ब्रादमी इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं सारी कल्पना की बातें नहीं करता हं। महोदय, भाषको याद होगा मंत्री

जी कि इसी सदन में मैंने हाफ एन ग्रवर डिस-कणन उठाया था जो कि मऊर में विरला की 1972 से जो अन-लाइसेन्स्ड फ़ैक्टरी काम कर रही थी उसके ऊपर था। उसको श्री प्रणव मुकर्जी, कामर्स मिनिस्टर ने स्वीकार किया था। हमारे श्री कुलकर्णी जी मेरे पर बहत बिगडे थे कि बातों को ले ग्राते हो ऐसी बात हो नहीं सकती। परन्तु फिर बाद में उन्होने कहा कि यह ताज्ज्ब की बात है कि यह हुआ। उसमें यह बात थी कि 1970 से वह मामला चला था ग्रौर एम०ग्रार०टी ०पी० ऐक्ट के मताबिक उन्होंने जो लाइसेंस मांगा था वह इंकार कर दिया गया था। बावज्द इंकार किये जाने के, बावजुद रिफ्तयुजल के उन्होंने मऊर में विस्को फाइबर फैक्टरी के काम को शरू कर दिया विद ब्राउट एनी लाइसेंस ब्रौर ग्राप ग्रभी तक खाली ताकते रहे हैं क्योंकि उन्होंने सभी किस्म के इम्पार्ट काइसेंस हासिल कर लिये। वे सल्फर को इम्पोर्ट करते हैं ग्रीर स्पेशल ग्रेड कोल इम्पोर्ट करते हैं । वे सारे लाइसेंस उनको मिल २ है हैं । ग्रापका लीगल डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई ऐसा कानन नहीं है जिसके अन्तर्गत आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। यह ग्रापकी ही दलील है इसी सदन में । तो मैं श्रापसे पूछनः चाहता हं कि जब यह स्थिति ग्रापकी है तो जब श्राप उस पर श्रमल नहीं कर सकते, यंह स्थिति है तो इस संशोधन का क्या लाभ होगा। जो श्राण्यासन कुलकर्णी जी ने मांग हैं, उसकी ग्राप पूर्ति करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हं। एक बात मैं कहना चाहता हं कि इस संशोधन केबाद विरला की जो यह ग्रन-लाइसेंस्ड फैक्टरी है क्या इसको सरकार कम से कम पब्लिक सेक्टर में लेने की सोचेगी? हम नहीं चाहते कि वहां का ओडक्शन बन्द हो, इम्पलाइमेंट में कोई खतरा आय, यह हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि कोई कान्न पुरी तरह अमल में न आय, इक्विलिटी विफोर लॉ हो । महोदय, जिस फैरी वाले के

(Inapplicability of

[श्री सदाशिव बागाईतकर] पास कारपोरेशन का लाइसेंस नहीं होता तो ग्राप जानते हैं कि उसका सामान जबत करके ले जाते हैं लेकिन बिरला जो करोड़ों रूपये का इनबेस्टमेंट करता है, बिद ग्राउट लाइसेंस, उस पर ग्राप हाथ लगाने की स्थिति में नहीं हैं। यह देश में स्थिति है। तो इस संगोधन से बिड्ला जैसे लोगों के खिलाफ क्या भ्राप लोग कार्यवाही करेंगे? कानन के अन्तर्गत जो करना है वह करने का ग्राण्यासन क्या ग्राप दे सकते हैं ? इस भाष्यासन को अगर आप नहीं देंगे तो मैं इसका समर्थन क्यों करूंगा। इसका जवाब ग्रापको देना चाहिए।

दूसरो बात मैं यह कह रहा हूं कि इको-नोमिक श्राफेंडर्स के प्रति क्या कान्न में यही एक माल रास्ता है ? एक जमाना था, श्रीमन, ग्राप भी जानते हैं जब देश के इतिहास में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड रुपये देने की जो बात थी राजनीतिक दिष्ट से उसको न देने का उ५ वक्त शायद सरदार वल्ल म भाई पटेल और नेहरू जी सोच रहे थे लेकिन गांधी जी ने उसमें नैतिकता का सवाल खडा कर दिया और अनशन कर के गवर्नमेंट को मजबूर किया कि जो वचन दिया हुआ है उसकी पूर्ति करें। वह एक जमाना था। आज ग्रापकी जो रूलिंग पार्टी की फिलास्फी बनी है उस वक्त वह रहीं थी। ग्राज तो स्थित ऐसी है एंडस जस्टीफाई मींस बन गया है। जो समगलर है, इकोनोमिक आफेंडर्स हैं उनके प्रति आपके जो रिश्ते हैं, सरकारें पार्टी के वे सिर्फ महब्बत के नहीं हैं। ग्राप इन लोगों को खास किस्म की प्रेस्टिन और बढ़ाथा दे रहे हैं। यह मरा ग्राप लोगों पर अगरोप है। अपने बीयरर बांड योजना की निकाला। बीयरर वांड योजना नैतिक इंग्टि से किसी तरह से उस का समर्थन नहीं हो सकता । कानून से चाहे जो ग्राप उसका ग्रयं निकालें। जो नामी स्मगलर हैं हिन्द्स्तान में बम्बई जैसे शहर में ग्राज वे सोशल वर्कर बन गए हैं। हाजी मस्तान का नाम कल्पनाथ राय जी ने लिया। हाजी मस्तान श्रीर युस्क पटेल

का ग्राज सोशल वर्कर के नाम से रिलेप्शन हो रहा है। गलधारी ख़दर्स, कल्प नाथ राय जी जरा सुनिये, अप्रैल, 1981 में युनियन केबिनेट ने फैसला किया। गलवारी ब्रदर्स जो प्रोक्लेम्ड आफेंडर्स थे जिनकी हिन्दस्तान में आने पर गिरफतार करने का कोर्ट का हक्म था उनको वापिस लाने का काम अत्रैल में यनियन के बिनेट के फैसले से हुआ है। मई में बम्बई मेटोपोलिटत मेजिस्ट्रेट के आईर को केंसिल करवाया उसके बाद गलधारी बदर्स यहां आते हैं । वे ताजमहल होटल में ठहरते हैं , आपको गलबारी ज़दर्स का इतिहास सुनना हैतो एक मिनट में आपको स्नाता हं। गलघारी वा यह मामला है--

1964—Wahab Galadhari is arrested in a gold smuggling case in Bombay. He jumps bail, leaves India, never to come back.

1969—In three separate cases of gold smuggling at Murud in Ratna-giri District... the three Galadhari Brothers are put up as accused.

रत्नागिरी नहीं. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लाबा में है जो अंत्ले साहय की कांस्ट ट्यएंसी

August 3, 1977—The prosecution in the above four cases against Gala-dharis moves an application under section 83 of Cr.P.C. praying for a declaration against all the three Galladhari Brothers as proclaimed offenders. The prayer is granted".

April 29, 1981—Union Cabinet accepts the proposal coming from the External Affairs Ministry to drop all court cases against Galadharis.

May 19, 1981—The prosecution moves an application asking lor permission to withdraw the cases.

यह अपकी नैतिकता है। जो प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स थे, कोर्ट ने जिनका प्रोक्लेम्ड ग्रफेंडर्स कहा था यह लोग हिन्दस्तान में अ'ते हैं और हिम्मत करते है, जुरंत करते हैं भ्रीर वे हिन्दस्तान की ग्रन्दहनी पोलिटिक्स में दखल देने जा रहे हैं। किस राज्य का कौन चीफ मिनिस्टर हो, कीन न हो, यह कहने की वे हिम्मत करते है। फिर यहां लालच देते हैं कि हम पांच भी करे।ड़ इनवेस्ट करेंगे, हम दो सी करोड इनवेस्ट करेंगे। इस तरह की इनवेस्टमेंट को ले कर यह जो नयी नोति रूलिंग पार्टी ने अपनाई एंडज जस्टीफाई दो मींस यह आपने सिफं राजनीति में नहीं श्राप अर्थ-शास्त्र में आधिक व्ययहार में अगर इसी चीज को लेकर आगे बढेंगे तो . . . (समय क) घंटी) एक मिनट, श्रीमन, में कोई इररेलेवेंट बात नहीं कह रहा हो। इकोनोमिक अफेंडर्ज को रिम्ब करने को बात हो रही है ग्रीर दूसरी तरफ देश में हकी कत क्या है मैं यह बता रहा है। एक मिनट आप बर्दाश्त करें।

श्री कल्पनाथ राष : ग्राप विषय पर वं लिये ।

श्री सदाशिव बागाईतकर: आप क्यों बाल रहे हैं, अगर इररेलेवेंट होगा तो उप-सभाष्यक्ष जी बोलने के लिए बैठे हैं। स्नाप तो उधर बैठे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन मुल्यों को अप देश में प्रश्रय श्रीर बढ़ावा देने जा रहे हैं।

[The Vice Chairman (Dr. Rafiq Zakaria) in the Chair.

नीति जिस पर गांधी क्या वह जी ने अनगन किया कि 55 करोड रुपया पाकिस्तान कं। देना चाहिए, जो कि वायदा हमने किया है, वचन दिया है, उस नीति की द्याप अपना रहे हैं या इस नीति को आप अपना रहे हैं कि चाहे जो करना पड़े थह करो, जीतना है किसी चीज को चाहे चुनाव हो, गद्दी हो राजनीति हो कुछ करो । मेरा भ्रारोप है कि शासक दल ग्राज इस नीति का शिकार हो चका है और इससे देश का अर्थ तंत्र खतरे में आ गया

है। यह शतरा सिर्फ विडला, टाटा से नहीं है उनसे तो हम झगड लेगे लेकिन आज अंत र्राष्ट्रीय गेंग्सटर्स, स्मगलर्स माफिया टाईप लोग हैं जो श्राज कई किस्म के स्मगलिंग में लगे हैं। उनको ग्राज राजनीतिक प्रश्रय मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, प्रेस्टिज मिल रही है। क्या यह बात ठी क नहीं है कि इन्हीं गलाधारियों में से एक या जिसने संजय गांधी की प्रदर्शनी दुबई में की थी वह जब हिन्दुस्तान स्नाता है तो प्रणव म्खर्जी से लेकर, बेंकट रामन से लेकर, सब मंत्रियों से कहा जाता है यहां तक कि प्रधान मंत्री जी से उसकी मुलाकात होती है . . . (व्यवधान)

Limitation) Amdt.

Bill, 1981

श्री कल्पनाथ राय: यह बात विल्कुल गलत है, ऐसी गलत बातें मत बोलिए... (व्यवधान) ग्राप जिम्मेदार ग्रादमी हैं ऐसी गलत बातें मत बोलिए ... (व्यवधान)

श्री सदाशिव बागाईतकर : यह इंडिया ट डे में लिखा है . . (व्यवधान) में आपसे कम जम्मेदार नहीं हं.. (व्यवधान) क्या आप ग्राधिक ग्राफेंसेज को इस तरह से रोकेंगे...

श्री कल्पनाथ राय : सारे देश का सोना बेच दिया... (व्यवधान) जनता सरकार ने सारा सोना बेच दिया, तब क्यों चुपथे ... (व्यवधान)

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Sir, I am not yielding. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Bagaitkar, you should not also indulge in all kinds of allegations.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Sir, I am only making the point that if the Government is serious in bringing down the economic offences and in punishing the offenders, there should not be a situation where the people conclude that on the' one hand, legislation is being enacted and, on the other, such smugglers and such offenders get all the prestige, get all the confidence, get all the facilities from the Government. If such things come to pass, then, how can you implement these laws? That is why, I am raising this question.

[Shri Sadashiv Bagaitkar]

भ्राखिरकार जो एडमिनिस्टेशन को ग्राप कानन देंगे, उस एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता चलेगा कि किसी ग्रादमी के खिलाफ चाहे विडला हो, टाटा हो, मुब होना है, सब वह जानेगा कि इनको कैसे मुख करेंगे। बिड्ला की पहुंच कहीं और है और वह बेचारा लूला लंगडा हो जाता है । इसके सैंकडों उदाहरण में ग्रापको दे सकता हं। इसलिए सवाल यह है कि कान्त में तरमीम करके, संशोधन करके आप किस हद की दरी तक जा सकते हैं। सवाल यह है कि कानन के साथ साथ सोणल प्रोटेस्ट लोगों की तरफ से भी ऐसे इक्नामिक ग्राफेंडर्स के खिलाफ हवा खड़ी करने में, पैदा करने में क्या ग्राप लोग कुछ कदम उठायेंगे या नहीं । इस काम की करने के लिए अगर श्राप उनको दावतें करते रहें ग्रीर हम झंडा लेशर खाली स्लोगन देते रहें, ग्रगर यही चलेगा ती इक्तोमिक ग्राफेंडर्स के खिलाफ जो सोशल क्लाईमेट आपको खडी करनी चाहिए उनका जो मोरिली रिक्ता और वर्ताव पूरे समाज के साथ होना चाहिए वह कभी नहीं होने वाला है और इसलिए श्रोमन मैं चाहता हं कि यह जे। विधेयक ग्राप लाये हैं, यह मैं इतलिए नाकाफी समझता हो, इसमें मुझे आपने उद्देश्यों और इरादों के बारे में शंका है कि जब तक यह स्थिति है तब तक ऐसा विधेयक ला कर ऐसे संशोधन लाकर ग्राप कोई बडा काम इवना मिक आफेंसेज को कर्व करने के लिए जो। करना चाहते हैं वह होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहंगा कि सरकार इसने बारे में जो नोति है वह साफ करें भीर कम से कम यह हमको बता दें कि यह कानुन पास होने के बाद मऊर में बिडला ने जो किया है, केरल में आप उसके खिलाफ कदम उठायेंगे।

उपसमाध्यक्ष (डा॰ रफीक जकरीया) : आप रिपोर्ट कर रहे हैं।

थी सदाशिव बागाईतकर : मैं ग्राइवा वर् चाहुंगा । अगर वे आश्वासन देने को तैयार हैं,

एटलीकेशन करने के लिए तैयार हैं तो मैं सोच सकता हे क्या मैं इसका समर्थन करूं या नहीं। इसलिए ग्राप ग्रपनी पोजीणन साफ करें। यह कहकर में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

SHRI CHARANJIT CHANANA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I must, first of all, express my thanks to hon. Members who have given support to the introduction of the Bill and I am sure they will also give me the privilege of passing the Bill in the House.

Now you would excuse me if I re-frained from exchange of accusations which do not fall within the purview of the Bill that we have before the House.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: That Mr. Kalpnath Rai did on your behalf.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): But for the purpose of record I think it will be necessary for you since these allegations are made.

SHRI CHARANJIT CHANANA: But I am not going to use that language, you will kindly excuse me for that. It was very interesting to see our hon. colleague, Mr. Kulkarni. shifting from the footpath to the top of philosophy. When he was dubb-ing a personality as a great Gandhion, he also, after a few minutes, admitted that he had accused him of being involved in some cases like the gold auction cases. He said that he was a witness to that, but then he forgot during his wonderful extempore speech before that that he was con-tradicting himself. Now, as far as the XYZ cases are concerned, which the hon. Member has referred to ...

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I only draw your attention to what Mr. Kalpnath Rai mentioned. When that gold auction problem was discussed two or three years hack, we were all one to attack the Janata Government. That is what I mentioned. Shri Kalpnath Rai is ultimately a farmer. He does not remem(inapplicability of

ber everything. I only said that I also joined you when we attacked Shri Kanti Desai.

उत्तर में अर्डन किया, यमी भी अर्डन करते हैं।

SHRI CHARANJIT CHANANA: The House must appreciate it. Hon. Shri Kulkarni's consistency is not... (Interruptions). His consistency is limited, unfortunately, to criticise for the sake of criticism. The hon. Member talked of the then Prime Minister and said that he was a great Gand-hian. That is the adjective used for him. You have also said that you have accused that Government headed by him on occasions. When we were opposing that thing, you were also with us, sitting on those branches.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: I said that he worked as a great Gandhian and that is how he was foolish to lose his empire. That is how I accused him.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): You don't want to usurp that empire. •

SHRI CHARANJIT CHANANA: The hon. Member has referred to some specific cases. I would like to give an assurance to the House that once the Bill is passed, once the Bill becomes a law, any breaker of the law, whatever may be his social status, his financial status, his political status, cannot get exemption from the applicability of the law at all and law breaker would always, under the definition and the principle of criminal law, can only deserve one adjective and that is 'criminal'. And the criminal would only be dealt with as a criminal, as a law breaker, whosoever he is.

Now Shri Kalpnath Rai has rightly given importance to the promotion of higher production of essential commodities. He has talked of the higher production of the essential commodities. So far as this thing is concerned, Mr. Kalpnath Rai has only to be

reminded that the Government gives top priority to these things. It is not only higher production, but also the best possible distribution system to which we adhere Secondly, the hon. Member, when he of the capacity, utilisation of licensed capacity or utilisation of the installed capacity, I have only to remind him that the keynote of the industrial policy adopted by this House in July 1980 was on the optimum utilisation of the installed every industry, more so in the capacity in case of the crucial industries and industries. I have only to tell him that there is always a demand projection and we are always giving a higher percentage of the production licences for each and every commodity, because the licences are not issued for today. The demand projections are for a period of 5 years or more. period differs from industry to industry, covering the length of the gestation period also. So all these things are kept in view as capacity utilisation is concerned. I would also like to remind the hon. Member initiated cancellation of such that licences where people were sitting on the licenses

298

Sir, one very interesting thing is- In fact the Vice-Chairman is also a part of it—that the hon. Members must be given credit for attracting the attention of the Government to the urgency of the proposed Bill, because one of the objectives of the Bill is to promote and accelerate the growth of small scale industry. Where a large house has broken the law, the IDR Act was not under this Act, and that is why we thought that exemption from a law of limitation was in fact, a barrier in treating the companies which were indulging in breach of law. We are sure the passage of this law and thereafter implementation thereof will give proper treatment to all of them.

As far as hon. Member's question about retrospectivity is concerned I would only like the hon. Members to

[Shri Charanjit Chanana] understand one thing that when the barrier of limitation is removed, the limitation is hot removed only for a day or two. From 1974 it is there and if you see the clauses of that Act, you will see that the retrospective effect is by virtue of this being included in the offences included in that act. An offence does not have an age at all. An offence committed any timewhether it was five years ago, or six years ago, or yesterday or today-is always covered by the Act under the penal clauses of the Act.

Now Shri Kalpnath Rai has talked about the multi-national companies and he has suggested the banning of these companies. I have only to draw his kind attention to the fact that this Act already has in its Schedule an Act known as the Foreign Exchange Regulation Act. That Act, in fact, deals with the multi-nationals. There is another Act there—the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, which is a bar on the promotion of monopolies in the private sector. These two Acts are already there. I have only to remind all the hon. Members who have talked about the desirability of that thing that the pro-visions are already there in the laws of the country.

As far as smugglers are concerned, the Act is already there deal with you see them and if thief, the imof mediate duty every citizen is FIR him at get an registered against nearest see to police station and that the provisions existing Act are invoked.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Bagaitkar, you are not listening. It is for you.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I am very much listening.

SHRI CHARANJIT CHANANA; Mr. Bagaitkar, I will come to your points later. I am dealing with each and every question. If something is still left, I will reply to that also.

श्री झाने यह कहा है कि इकोनोमिक आफें भेज बढ़ रहे हैं स्पेणल ख्याल उन के लिए होना चाहिए। अञ्चल इकोने।मिक आफेंसेंज वढ नहीं रहे हैं। दूसरे श्राप को यह बताना चाहंगा कि यह एक्ट इसी लिए पास किया जा रहा है, अमेंडमेंट इसी लिए हो रहा है कि कुछ ऐसे इकोनोमिक आफेंसेज थे जिनको एक एरजेम्ब ण मिला हम्रा था ला ग्राफ लिमिटेशन के छाते के नीचे, उस को हटाने के लिए यह किया जा रहा है । पहले इकोनोमिक आफेंस कन्सोडर नहीं होता था क्यों कि एक साल था आई हो ग्रार एक्ट में, उस को तोड़ने के लिए यह कर रहे हैं ताकि उस की सजा मिल जाये । ऐसे कानन इस लिए बनाये जाते हैं ताकि ईको-नोमिक आफेंसेज में कमी हो। यदि आप को ऐसा लगता है कि इकोनोमिक आफेंसेंज बढ़े हैं तो यह गलत बन्त है । मैं ग्राप की प्रशंसा करता हं कि इको नो मिक आफेंसे ज को कम करने के लिए कानून बन रहा है तो ग्राप ने इस को सपोटं किया है।

ग्राप ने जो सजेशन्स दिये हैं मैं ने उन को नोट कर लिया है। श्राप ने मनोपोली हाउसेज की बात की है। एक एम आर टी पी एक्ट है। वह सिर्फ इस लिए है कि मोनोपोलीज की एक्सपेंड करने की परमीणन न दी जाये।

अब आप ने लेनिन का कोट किया है पब्लिक सेक्टर के लिए। श्राप माक्स की कोट करिए, लेनिन को कोट करिए, लेकिन जब ग्राप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं ग्रीर पंडित नेहरू को कोट नहीं करते हैं तो मैं समझता हं कि अपने आप को धोखा देते हैं। पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पंडित नेहरू ने . . .

श्री शिव चन्द्र झा : एक सफाई । यहं फाइव ईयर प्लान का जो इन्होडक्शन है उस को यदि आप सेन्ट-पर-सेन्ट मान लें तो बही पंडित जी का दर्शन है और शानदार माक्सिस्ट इन्टरप्रिटेशन है। पंडित जी को अप ठीक से नहीं रख रहे हैं, पड़ित जी को आप ठीक से फालो नहीं कर रहे हैं।

उपसमाध्यक्ष (डा॰ रकीक जकारिया) वह पडित जो को मानते हैं।

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, I am very glad that I could provoke him to shift from Lenin to Panditji. Now I will only bring him from Pandit Nehru to Mrs. Gandhi who has, in fact, revitalised the pillars of economic infrastructure and my friends must have the courage to appreciate that. That is a very important thing. It is only the public sector revitalisation. Public sector was rendered, by the gap of two years... (Interruptions)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: No, this is not Panditji's economic philosophy. (Interruptions)

SHRI CHARANJIT CHANANA: Now. Shri Ram Lakhanji has raised questions on statistics of the breach of law. Once a law is passed we will have the statistics on the breach of law. But I would like to draw your kind attention and Mr. Bagaitkar's kind attention to the questions raised by hon. Members of this House and the other House also on the desirabi-lity of the introduction of this amendment or the inclusion of this particular idea or provision info the Economic Offences Act. You should see them.

Mr. Kulkarni is not there. Mr. Vice-Chairman is sitting here. They were also a party to it, to see to the desirability of this Act. You were talking about the application of the Act. The application of the Act would only reduce the breaches and whosoever breaks this law would be punishable by this. The second thing is about retrospective effect. That was already replied to.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIO ZAKARIA): Now come to Mr. Bagaitkar.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Now, the ashwasan that Mr. Bagaitkar

wanted has already been given. (Interruptions) I have already said this. It is not Birla or X, Y or Z. Whosoever would break any provision of the law would be considered and treated as a law breaker-whosoever it is. Now the hon. Member Shri Bagaitkar talked of some economic offences. 1 am referring to the economic offences relating to the breach of the DIR Act, but I would be against any economic offence in the country, which is committed against any law of the country.

Limitation) Amdt.

So, with these words, I think the hon. Members now would join me in moving the Bill for being passed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

"That the Bill further to amend the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN; We shall now take up clause-by-clause consideration of the

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enating Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

## MESSAGE FROM THE LOK SABHA

Report of the Joint Committee on the working of the Dowry Prohibition Act, 1961.

SECRETARY-GENERAL: Sir I have to report to the House the following message received from the